लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 25 अगस्त – यूटी चण्डीगढ़ में ऑटोरिक्शा/टूरिस्ट चालकों द्वारा अतिक्ति किराया वसूल करने और दुर्व्यवहार करने संबंधी जनता की मुख्य शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एसटीए ने सभी ऑटोरिक्शा/टैक्सी चालकों को वाहन पर एसटीए का शिकायत नं0 2700159 प्रदर्शित करने और सभी टैक्सी व ऑटोरिक्शा चालकों को अपनी गाड़ी के किसी भी तरफ किराया सूची लगाने के निर्देश दिए हैं। सभी ऑटोरिक्शा व टैक्सी चालकों को सूचित किया जाता है कि उनके वाहनों को तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक चालकों के वाहनों पर शिकायत नं0 और किराया सूची नहीं लगी होगी। इस स्थिति में उन वाहनों का चालान किया जाएगा जो उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं करेंगे।